संख्या: 2 /2026/1930/ सत्रह-म-2025-17-1002(099)/2/2023

प्रेषक,

राम चरन राम,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
मत्स्य विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 08 जनवरी, 2026

विषय: मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-वययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 250.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-540/नि0शा0/MMSY/2025-26 दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन, 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 05-मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, 20- सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत जनपदों में मनरेगा कन्वर्जेन्स/पट्टाधारक द्वारा स्वयं अथवा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गये ग्राम सभा के पट्टे के तालाबों में प्रथम वर्ष निवेश पर तथा मत्स्य बीज बैंक की स्थापना की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट धनराशि रू0 1000.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 750.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत प्रदेश के जनपदों में मनरेगा कन्वर्जेन्स/पटटाधारक द्वारा स्वयं अथवा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गये ग्राम सभा के पटटे के तालाबों में प्रथम वर्ष निवेश पर तथा मत्स्य बीज बैंक की स्थापना के लिए अनुदान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन, 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 05-मुख्य मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, 20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 250.00 लाख (रूपये दो करोड पचास लाख मात्र) की धनराशि को आहरित कर वयय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(3) आंकडों की शुद्धता का दायित्व महानिदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा।

(4) इस योजना में स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु जारी स्वीकृतियों से द्विरावृत्ति न हो।

(5) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व प्रशासकीय विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(6) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(7) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-27.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

5- इस सम्बंध में होने वाला व्यय रू0 250.00 लाख (रू0 दो करोड पचास लाख मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -2405-मछली पालन, 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 05- मुख्य मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, 20- सहायता अनुदान– सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- E-1-189-X-2025-26-दिनांक:1-1-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
RAMCHARAN RAM
Date: 07-01-2026
17:37:17

(राम चरन राम)
अनु सचिव।

संख्या- 2/2026 / 1930 /2025 /(1) / सत्रह-म-2026 **तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।

4- उप निदेशक मत्स्य(नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

5- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

6- सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम चरन राम)

अनु सचिव।